भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1129

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खुराक रहित टीकाकरण

†1129. डॉ. के. सुधाकरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में 'खुराक रहित' टीकाकरण के बारे में कोई आँकड़े उपलब्ध हैं और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सामाजिक और धार्मिक कलंक अभी भी मौजूद है जो कुछ लोगों को अपने बच्चों का टीकाकरण कराने से रोकता है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस कलंक को दूर करने के लिए उठाए गए उठाएं जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को पेशेवर रूप से सुविधायुक्त और प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक दिया जाए ताकि हमारे देश में खुराक रहित टीकाकरण की समस्या का उन्मूलन सुनिश्चित हो सके और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): देश में शून्य खुराक वाले बच्चों/जिन बच्चों को पेंटावेलेंट 1 टीके की खुराक नहीं मिली है, उनकी संख्या 2023 में 16 लाख से घटकर 2024 में 9.09 लाख हो गई है।

(ख): देश में टीकाकरण कवरेज को अधिकतम करने के लिए, पूरे देश में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। दूरदर्शन जैसे सेवा प्रसारकों के माध्यम से मीडिया हस्तियों, रेडियो जिंगल्स और यूट्यूब पॉडकास्ट का उपयोग करके आईईसी का प्रचार-प्रसार किया जाता है। एक्स हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। स्थानीय स्तर पर

सामुदायिक कार्यकलाप जैसे माइकिंग , पोस्टर और समूह बैठकें भी आयोजित किए जाते हैं।

(ग): सरकार ने सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय में निम्नलिखित उपाय किए हैं।

i) टीकाकरण से वंचित बच्चों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए 11 राज्यों के 143 जिलों के लिए शून्य खुराक कार्यान्वयन योजना विकसित की गई है।
ii) मिशन इंद्रधनुष (एमआई)/गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) विशेष टीकाकरण अभियान हैं जो उन राज्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं जहाँ टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या अधिक है। 2023 तक, एमआई/आईएमआई के बारह चरण आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है।
iii) पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस (एनआईडी) और उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस (एसएनआईडी) प्रति वर्ष आयोजित किए जाने वाले विशेष टीकाकरण अभियान हैं। भारत 2014 से पोलियो मुक्त स्थिति बनाए हुए है।
iv) प्रतिरक्षण संबंधी कार्यकलापों के लिए निर्धारित दिनों में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) का आयोजन करना ।
v) प्रतिरक्षण पर राज्य कार्यबल (एसटीएफआई), प्रतिरक्षण पर जिला कार्यबल (डीटीएफआई) और प्रतिरक्षण पर ब्लॉक कार्यबल (बीटीएफआई), प्रतिरक्षण संबंधी कार्यकलाप के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।
vi) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के सभी प्रतिरक्षण संबंधी कार्यक्रमों के पंजीकरण और रिकॉर्डिंग के लिए यूविन पोर्टल भी विकसित किया है।

(घ) और (ङ) : मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकर्मियों) को प्रति वर्ष नियमित प्रतिरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि प्रतिरक्षण संबंधी सेवा की निर्बाध प्रदायगी सुनिश्चित की जा सके। आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय मानदंडों के अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अद्यतन संशोधन के अनुसार, नियमित और आवर्ती कार्यकलापों के लिए आशाकर्मी प्रोत्साहन राशि को ₹2000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹3500 प्रति माह कर दिया गया है।

******